तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/01/25	वकु॰ उप॰। TDR, बून्दी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू॰ अ॰/24/6183 दिनांक 09/12/24 शा॰ पत्रावली है। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 17/01/25 को पेश हो।	
17/01/25	वकु॰ उप॰। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा॰ मि॰ हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:01 IST
Reason: SelfAttested

मिसल नंबर

13/प्रा0प0/2023
37/प्रा0प0/2021 (पुराना)

दायरा दिनांक

02.07.2021

पीठासीन अधिकारी

हरविन्दर डी0 सिंह,
आर0ए0एस0

सत्यनारायण गोद पुत्र परमा नेसर्गिक पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी केथूनी पोल कोटा जिला कोटा राजस्थान।

—प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135, 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम
प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती।

निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री कुलदीप सिंह।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खेवट खतोनी सं0 नया 177 पुराना 156 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1097/1307 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1101 रकबा 0.4208 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1103 रकबा 1.0360 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1104 रकबा 0.4208 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1105 रकबा 0.0486 हैक्टेयर खसरा संख्या 1106 रकबा 0.2024 हैक्टेयर किता 6 रकबा 2.2176 हैक्टेयर वाके ग्राम झरबालापुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज०) में प्रार्थी के खातेदारी की विरिथत है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र परमा अंकित हैं जो सही नही हैं प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण है। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। खेवट खतोनी संख्या नया 307 पुराना 273 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1099 रकबा 0.2428 हैक्टेयर वाके ग्राम झरबालापुरा पटवार हल्का नयागॉव तहसील एवं जिला बून्दी में विरिथत हैं। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/7 निहित हैं। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र परमा अंकित है। जो सही नही हैं प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण है। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी को परमा आ०दौला व उनकी पत्नी गोपाली बाई पत्नी परमा जाति माली निवासी कैथूनीपोल कोटा द्वारा दिनांक 5—12—79 को प्रार्थी के प्राकृतिक पिता बिरधीलाल आ० दौला व प्रार्थी की माता श्रीमति कान्ही बाई निवासी कैथूनी पोल कोटा से गोद लिया था। तब से ही प्रार्थी अपने गोद पिता के पास निवास करता आ रहा हैं। गोद [illegible] भी प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ सत्यनारायण अंकित कर रखा हैं [illegible] नाम हैं जबकि सत्यनारायण प्रार्थी का दस्तावेजों में अंकित नाम हैं इसलिए प्रार्थी अपना नाम पप्पू के स्थान पर सत्यनारायण अंकित करवाना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 1 व 2 में वर्णित जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम प्रार्थी के गोद पिता परमा जी की मृत्यु के बाद नामान्तकरण तस्दीक होने के समय से ही चला आ रहा हैं। प्रार्थी के परिवार के सदस्यो ने प्रार्थी का बोलता नाम पप्पू अंकित करवा दिया हैं जिसके कारण जमाबन्दी में भी पप्पू ही अंकित हो गया हैं। प्रार्थी पढ़ा—लिखा नही हैं एवं कानून से

Signature Not Verified
Digitally signed by Harpinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:01 IST
Reason: SelfAttested

अनभिज्ञ हैं। इसलिए प्रार्थी को अपना नाम पप्पू अंकित होने की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को अपना नाम पप्पू राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अंकित हो जाने एवं प्रार्थी को उक्त जमाबन्दी में अपना नाम पप्पू के स्थान पर सत्यनारायण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यो को करने बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 953246591635 राशन कार्ड, पहचान पत्र में भी सत्यनारायण आ० बिरधीलाल ही अंकित हैं। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम पप्पू का इन्द्राज प्रार्थी की जानकारी में नहीं आने एवं राजस्व कर्मचारियो की लिपिकीय त्रुटि के कारण सहवन से दर्ज हुआ हैं। प्रार्थी को अपना नाम पप्पू उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित जमाबन्दीयो में अंकित होने की जानकारी नहीं होने के कारण इस सम्बंध में पूर्व में कार्यवाही नही की गई हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 24–7–2020 को भी अप्रार्थी तहसीलदार, बून्दी से इस सम्बंध में निवेदन किया गया था। जिनके द्वारा बताया गया कि सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश से ही नाम का इन्द्राज सही हो सकेगा। यही वाद प्रस्तुति का कारण हैं। जो निरन्तर पैदा हो रहा हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में सत्यनारायण के स्थान पर पप्पू गलत अंकित हो जाने से प्रार्थी को कृषि भूमि का विकास करने, कृषि ऋण प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। इस कारण से प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना गलत नाम पप्पू के स्थान पर सही नाम सत्यनारायण का अंकन करावे, इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित प्रार्थी का नाम पप्पू आ० परमा के स्थान पर संशोधन करते हुये सत्यनारायण आ० परमा अंकित करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार बून्दी को प्रदान करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वह प्रार्थी को प्रदान की जावें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2024/6183 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया हैं कि सत्यनारायण गोद पुत्र परमा नेसर्गिक पुत्र बिरधीलाल जाति माली केथूनीपोल कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राम झरबालापुरा के खाता संख्या 177 किता 6 रकबा 2.2176 हे0 प्रार्थी के खातेदारी में स्थित हैं। प्रार्थी का नाम खाते में पप्पू पुत्र परमा अंकित हैं। जिसको पप्पू के स्थान पर सत्यनारायण करवाना चाहते हैं। जिसके संबंध में पटवारी नयागांव, ओंकारपुरा व पटवारी लाडपुरा से रिपोर्ट ली गई। पटवारी लाडपुरा कोटा मौका पर्चा अनुसार पप्पू बचपन का नाम बताया गया, वास्तविक नाम सत्यनारायण हैं। पप्पू एवं सत्यनारायण एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में सहवन से प्रार्थी का घर का नाम पप्पू अंकित हो गया हैं, जबकि प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम सत्यनारायण हैं। प्रार्थी को उक्त दोनो ही नामों से जाना–पहचाना–पूकारा जाता हैं। राजस्व रेकार्ड में पप्पू अंकित होने से प्रार्थी को अपने काश्तकारी कार्य में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये श्रीमान् से नि[illegible] कि प्रार्थना पत्र विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का ना[illegible] करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त [illegible] मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली [illegible] झरबालापुरा के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 177 पुराना 156 की आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 2.2176 हे0 व खाता संख्या 307 पुराना 273 की आराजी खसरा संख्या 1099 रकबा 0.2428 हे0 में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र परमा अंकित हैं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी पप्पू व सत्यनारायण प्रार्थी के ही नाम हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में पप्पू के स्थान पर पप्पू उर्फ सत्यनारायण किया जाना न्यायोचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम झरबालापुरा के जमाबंदी सम्वत 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 177 पुराना 156 की आराजी खसरा संख्या 1097 / 1307, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106 कुल किता 6 कुल रकबा 2.2176 है० व खाता संख्या 307 पुराना 273 की आराजी खसरा संख्या 1099 रकबा 0.2428 है० में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी "पप्पू पुत्र परमा" के स्थान पर "पप्पू उर्फ सत्यनारायण पुत्र परमा" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी० सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:01 IST
Reason: SelfAttested